


06.02.2024:—पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी उपस्थित नही
आयें। वादी एव वादी अधिवक्ता को बार-बार
आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी
व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के
कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से की जा
जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़